रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2000/भाद्र 30, 1922
No. 485] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2000/BHADRA 30, 1922

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2000

सा.का.नि. 733(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) और धारा 30(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2000 है।

(2) ये 1 जनवरी, 1996 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) के अधीन—

(क) अध्यक्ष के संबंध में, पेंशन सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक हजार चार सौ पचास रुपए प्रतिवर्ष की दर से संगणित की जाएगी किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगी कि इस नियम के अधीन संदेय पेंशन की कुल रकम, ऐसी किसी पेंशन की रकम सहित जिसके अन्तर्गत ऐसी पेंशन, यदि कोई हो, का संराशित भाग भी है, जो अधिकरण में पद धारण करते हुए प्राप्त किया गया है या जिसे प्राप्त करने का वह हकदार है, चार हजार रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होगी;

(ख) उपाध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में पेंशन सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए चार हजार सात सौ सोलह रुपए प्रति वर्ष की दर से संगणित की जाएगी तथा अधिकरण में सेवा के वर्षों की संख्या पर ध्यान दिए बिना पेंशन की अधिकतम रकम तेइस हजार पांच सौ अस्सी रुपए से अधिक नहीं होगी किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगा कि इस नियम के अधीन संदेय पेंशन की कुल रकम, ऐसी

किसी पेंशन की रकम सहित जिसके अन्तर्गत ऐसी पेंशन, यदि कोई हो, का संराशित भाग भी है, जो अधिकरण में पद धारण करते हुए प्राप्त किया गया है या जिसे प्राप्त करने का वह हकदार है, एक लाख छप्पन हजार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।"

[सं. 94/टीसी(आर सी टी)/2-2पार्ट]

पदमाक्षी रहेजा, कार्यपालक निदेशक, जन शिकायत, रेलवे बोर्ड

स्पष्टीकारक ज्ञापन

5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप समतुल्य रैंक के सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को संदेय पेंशन की पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए, रेल दावा अधिकरण के सेवानिवृत्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय पेंशन के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, अध्यक्ष को संदेय पेंशन का पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान अधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय पेंशन को 1 जनवरी, 1996 से अर्थात् उस तारीख से जिसको केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन पुनरीक्षित की गई है, पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया गया है। अतः, यह प्रस्ताव किया जाता है कि रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 के उपनियम (2) को 1 जनवरी, 1996 से अर्थात् भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जाए। प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 844(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 726(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1991 एवं सा.का.नि. 185(अ) तारीख 11 अप्रैल, 1996 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2000

G.S.R. 733(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (b) of sub-section (2) of section 30 and section 30A, of the Railway Claim Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2000.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1996.

2. In the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) Pension under sub-rule (1), ----

(a) in respect of Chairman, shall be calculated at the rate of rupees one thousand four hundred and fifty per annum for each completed year of service subject to the condition that the aggregate amount of pension payable under this rule, together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn, while holding office in the Tribunal shall not exceed rupees four thousand per mensum:

(b) in respect of Members and Vice-Chairman, shall be calculated at the rate of rupees four thousand seven hundred and sixteen per annum for each completed year of service and irrespective of the number of years of service in the Tribunal, the maximum pension shall not exceed rupees twenty three thousand five hundred and eighty, subject to the condition that the

aggregate amount of pension payable under this rule, together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn, while holding office in the Tribunal shall not exceed rupees one lakh fifty six thousand per annum.".

[No. 94/TC(RCT)/2-2 Pt.]

PADMAKSHI RAHEJA, Exec. Director, Public Grievances, Railway Board

Explanatory Memorandum

In view of revision of pension payable to retired Central Government employees of comparable ranks as a result of implementation of recommendations of the 5th Central Pay Commission, it has become necessary to consider the question of revision of pension payable to the retired Chairmen, Vice-Chairmen and Members of the Railway Claims Tribunal. Accordingly, pending revision of pension payable to Chairman it has been decided to revise the pension payable to the Vice-Chairman and Members of the Tribunal with effect from the 1st January, 1996, i.e. the date from which the pension payable to Central Government employees has been revised. It is, therefore, proposed to amend Sub-rule (2) of rule 8 of the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989 with effect from the 1st January, 1996, i.e. with retrospective effect. It is certified that none will be adversely affected by the aforesaid amendment being given retrospective effect.

Footnote : — The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. GSR. 844(E) dated 19th September, 1989 and subsequently amended by notification No. GSR. 726(E) dated 6th December, 1991 and GSR 185(E) dated 11th April, 1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.